



आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

प्रलिस के लयि:

आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु अधिनियम

मेन्स के लयि:

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंघति मुददे

चरचा में क्यौं?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वतिरण मंत्रालय ने अरहर दाल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लयि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कयि है।

- राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर उपभोक्ता मामलों के वभिग के ऑनलाइन नगिरानी पोर्टल पर 'स्टॉकहोल्डर संस्थाओं को उनके द्वारा रखे गए स्टॉक का डेटा अपलोड करने' का नरिदेश दयि गया है।

अधिनियम की आवश्यकता

- कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख तूर उत्पादक राज्यों के कुछ हसिसों में अधिक वर्षा और जलभराव की स्थति के कारण पछिले वर्ष 2021 की तुलना में खरीफ बुवाई में धीमी प्रगत के बीच जुलाई 2022 के मध्य से तूर की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- आगामी त्यौहारों के महीनों में उच्च मांग की वजह से अनुचति मूल्य वृद्धि को नयित्तरति करने हेतु, सरकार घरेलू और वदिशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और नयित्तरति कीमतों को सुनश्चिति करने के लयि पूर्व-खाली कदम उठा रही है।
- व्यापारियों और जमाखोरों के कुछ वर्गों द्वारा अरहर दाल की कीमतों को बढ़ाने के प्रयासों को सीमति करने के लयि, 'प्रतबिंधति बकिरी' का सहारा लेकर एक कृत्रिमि कमी पैदा करना शामिल है।
 - कृत्रिमि कमी कीमतों और/अथवा मांग को बढ़ाने के लयि वशिष उत्पादों (या सेवाओं) के उत्पादन की उद्देश्यपूर्ण सीमा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955:

- पृष्ठभूमि:
 - ECA अधिनियम, 1955 ऐसे समय में बनाया गया था जब देशखाद्यान्न उत्पादन के लगातार नमिन स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था।
 - तत्कालीन भारत अपनी खाद्य जरूरतों की पूरत के लयि आयात और सहायता (जैसे पीएल-480 के तहत अमेरिका से गेहूँ का आयात) पर नरिभर था।
 - खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लयि वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था।
- आवश्यक वस्तु:
 - आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई वशिषट परभिषा नहीं है।
 - धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में नरिदषिट वस्तु है।
- कानूनी कषेत्राधिकार:
 - अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में कसिी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
 - केंद्र, यदा संतुषट है कजिनहति में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से कसिी वस्तु को आवश्यक रूप में अधसिूचति कर सकता है।
- उद्देश्य:
 - ECA 1955 का उपयोग केंद्र को वभिनिन प्रकार की वस्तुओं में व्यापार के राज्य सरकारों द्वारा नयित्तरण को सकषम करने की अनुमति देकर मुद्रास्फीतिपर अंकुश लगाने के लयि कयि जाता है।

■ **प्रभाव:**

- किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक सीमा लगा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20** में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ECA 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप ने अक्सर कृषिव्यापार को विकृत किया है, जबकि यह मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी रहा।
- इस तरह के हस्तक्षेप से रेंट सीकगि और कुप्रबंधन के अवसर बढ़ते हैं।
 - रेंट सीकगि अर्थशास्त्रियों द्वारा भ्रष्टाचार सहित अनुत्पादक आय का वर्णन करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
- व्यापारी अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम खरीदारी करते हैं और किसानों को अक्सर खराब होने वाली फसलों के अतिरिक्त उत्पादन के दौरान भारी नुकसान होता है।
- इसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिला पा रहा था।
- इन मुद्दों के चलते संसद ने **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधियक, 2020** पारित किया।
- हालाँकि किसानों के वरिध के कारण सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा।

आगे की राह

- ECA 1955 तब लाया गया था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हालाँकि अब भारत में अधिकांश कृषिवस्तुओं में अधिशेष की स्थिति है और ECA 1955 में संशोधन सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने तथा व्यवसाय करने में आसानी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: द द्रि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/essential-commodities-act-of-1955>

